रजिस्टी सं० डी० एल०-33004/99

मारत का राजपत्र The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155]	नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 5, 2008/माघ 16, 1929
w 122}	
NY 4 # #1	NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 5, 2008/MAGHA 16, 1929
No. 1551	NEW DELIN, TOESDAY, TEMOTINY O, TOOSTELLET

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सडक परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसुचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2008

का.आ. 247(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग संबंधित उपरोक्त के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेक्शन की उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट सड़क के खण्ड का विकास और अनुरक्षण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ प्राधिकरण है।

सारणा				
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	सेक्शन	लम्बाई किलोमीटर में		
(1)	(2)	(3)		
39	माराम-इंफाल	236 कि.मी. से 311 कि.मी. तक		
	(मणिपुर राज्य में)			

[फा. सं. एनएच-14013/10/2007-पाएण्डएम]

प्रभाकर, उप-सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2008

S.O. 247(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the development and maintenance of the stretch of road specified in column (3) of the table below, of the Section specified in column (2) of the said table, of the National Highway specified in column (1) of the aforesaid table, shall be exercised by the Border Roads Organisation, being a subordinate authority to the Central Government.

	TABLE	
National Highway No.	Section	Stretch in Kilometer
(1)	(2)	(3)
39	Maram-Imphal	From Km. 236 to Km. 311
	(In the state of Manipur)	
		IF No. NH-14013/10/2007-P&N

[[]F. No. NH-14013/10/2007- P & M] PRABHAKAR, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2008

का.आ. 248(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम सं. 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :---

क्रम सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का वर्णन	राज्य सरकार का नाम
(1)	(2)	(3)
15	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 39 [101 कि.मी. को छोड़कर (210 कि. मी. से 311 कि. मी. तक)], सं. 53 [217 कि. मी. को छोड़कर (3 कि. मी. से 220 कि. मी. तक)] और	मणिपुर राज्य सरकार
	सं. 150 [437 कि. मी. को छोड़कर (140 कि. मी. से 402 कि. मी. तक और 488 कि. मी. से 663 कि. मी.)] का उतना भाग जितना मणिपुर राज्य में स्थित है।	

[फा. सं. एनएच-14013/10/2007-पीएण्डएम]

प्रभाकर, उप-सचिव

पाद टिप्पण :---मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 1096 तारीख 4 अगस्त, 2005 को प्रकाशित किए गए और अन्तिम संशोधन का.आ. 1861(अ), तारीख 1 नवम्बर, 2007 द्वारा किया गया ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2008

S.O. 248(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely :---

In the Schedule to the said notification, for serial number 15 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :----

Serial Numbe	Description of National Highway	Name of the State Government
(1)	(2)	(3)
15	So much of National Highways No. 39 [excluding 101 Km. (from 210 Km. to 311 Km.)], No. 53 [excluding 217 Km. (from 3 Km. to 220 Km.)] and No. 150 [excluding 437 Km. (from 140 Km. to 402 Km. and Km. 488 to 663 Km.)] as are situated within the State of Manipur.	State Government of Manipur

[F. No. NH-14013/10/2007-P&M]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

١

Foot Note :— The Principal notification was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 1861(E), dated 1st November, 2007.

2